न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **450/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
आदम खॉ पुत्र गॉधी कौम सिपाई, निवासी– ग्राम बडनावा चारणान तहसील पचपदरा, बाडमेर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.06.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 57/2017 अनवान सरकार बनाम आदम खॉ के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1– श्री रिडमल खॉ मेहर, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से ।

निर्णय

दिनांक05–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम बडनावा के फसल खरीफ सम्वत 2073 के दौरान गस्त गिरदावरी में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये उनका राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.06.2017 के जरिये रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया,जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व बिना सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया। मौके पर खसरा संख्या 103 में रास्ता दर्ज कर दिया है जो तथ्यात्मक स्थिति से भिन्न है। जहॉ रास्ता घोषित किया है वहा बडा रेत का टीला/धोरा है। इसलिये भौतिक रूप से रास्ता स्वीकृत होना सम्भव नहीं था। ख0सं0 98 के खातेदारान को मौके अनुसार तरमीम करने का एतराज नहीं है।

वकील अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। पूर्व में जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ख0सं0 103 के पश्चात ख0सं0 98 के माठ के जोडेजोड मौके पर रास्ता मौजूद है। अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में किसी भी खातेदार की सहमति नहीं ली गई। ऐसे में तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश

पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई व पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। चूंकि बिना सूचना व सुनवाई के आदेश पारित किया गया था इसलिये अपीलान्ट को कभी भी इसकी जानकारी नहीं हुई। हाल में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत रास्ते पर मिटटी डलवाने के लिये प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा हुई तब उसके लिये अपीलान्ट ने एतराज किया तब पटवारी ने आदेश होने जाने की जानकारी हुई जबकि मौके पर रास्ता ख0सं0 103 के पश्चात ख0सं0 98 में चल रहा है। तब अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करते हुए अपील तैयार की जाकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्टस प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.6. 2017 प्रकरण संख्या 57/2017 को निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति राजस्व रेकर्ड एवं फील्डबुक में पुनः दुरूस्त की जावे।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा धारा 130,131,136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम बडनावा, तहसील पचपदरा के उल्लेखित खसरान भूमि में चालू सार्वजनिक रास्तें को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित है, जो बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट के अतिरिक्त अन्य किसी खातेदार ने अपीलाधीन आदेश को चुनौती पेश नहीं की है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण दर्ज होने पर आदेश में वर्णित खसरान भूमि के खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है एवं काफी काश्तकारों के द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व नोटिस सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने बाबत कथन है। ऐसे में अपील में प्रकरण को निम्न निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मौके पर चह रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावें। निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)